



सं.सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी/2017/1988-95

दिनांक : 13.10.2017

अधिसूचना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 21/5/2017-ई.II(बी) दिनांक 02.08.2017 के अनुसरण में, बोर्ड में परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 7वें सीपीसी के सिफारिश 01.07.2017 से कार्यान्वित/अंगीकृत की गई हैं।

बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों/उ.कें. से अपने संबंधित क्षेत्र/स्टेशन में अनुप्रयोज्यता के अनुसार स्टाफ के लिए उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का पूर्णतः सुनिश्चित/पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
उपसचिव (प्रशा एवं विधि)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के कार्यपालक अधिकारी
2. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
3. संयुक्त निदेशक/विभागा प्रमुख, सीबीएसई के व.नि.स.
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट/उ.कें.
5. डीडीओ, सीबीएसई मुख्या. दिल्ली
6. बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय/प्रकोष्ठ/उ.कें. सभी डीडीओ
7. स्क्रेप फाइल
8. सूचना पट्ट